इंदिरा गांधी जी की जयंती मनाई

ब्यावर (निसं)। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रथम महिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती लायंस गार्डन नगर परिषद के सामने मनाई गई। स्व गांधी के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष अशोक रांका ने इंदिरा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने और आगामी निकाय चुनाव को एकजुटता से जीतने का संकल्प लिया। पूर्व सभापति मुकेश सोलंकी, चंद्रप्रकाश जैन, बाबूलाल पंवार, घनश्याम फुलवारी, मेघराज बोहरा, अशोक पंडित ने बताया कि स्व गांधी ने अपने जीवनकाल में कई आयाम स्थापित किए तथा दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए ।अन्य वक्ताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी,भारत रत्न स्व इंदिरा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पार्षद राजेश शर्मा, गिरधारी लाल पोपावत, राजेन्द्र तुनगरिया,विकास दगदी, भरत बंदीवाल, राकेश साहू, अजय स्वामी, जीवराज जावा, पूर्व पार्षद संपति बोहरा, हनुमान चौधरी, शैलेश शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा, गोपाल डाणी, लियाकत अली, चंद्रप्रकाश साहू, सुरेश साहू, अशोक पंडित,चेतन भट्ट, दिनेश जेन, कमलेश बोहरा, लक्ष्मीकांत सेन, इशिका जैन, बृजराज डुलग़च, शाकिर कुरेशी, धीरज कुमावत, संदीप जैन, अनिल शर्मा, मनोज खूबचंदानी, माणकचंद बोहरा, लोकेश बोहरा आदि कई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।

पुलिसकर्मी और बजरी माफिया का वाट्सएप चेटिंग का वीडियो वायरल

माण्डलगढ़, (निसं)। मांडलगढ़ में काछोला थाने के एक पुलिसकर्मी का बजरी माफिया से गजब की सांठगाठ निभाने का मामला सामने आया है। काछोला थाने के पुलिसकर्मी के मोबाइल में बजरी माफिया द्वारा ट्रक पासआउट करने के भेजे वाहनों के नम्बर की चेटिंग सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है। बताया जा रहा है कि प्रति ट्रक बड़ी राशि की एंट्री के नाम वसूली की जाती है, जिससे बजरी माफिया के ट्रक को थाने का गश्ती दल नहीं रोक सकता है।

- **बजरी भरे वाहन के नम्बर वाट्सएप पर आने के बाद पासआउट किया जाता था**
- **बताया जा रहा है कि प्रति ट्रक बड़ी राशि की एंट्री के नाम वसूली की जाती है, जिससे बजरी माफिया के ट्रक को थाने का गश्ती दल नहीं रोक सकता है**

जानकारी के मुताबिक काछोला थाना क्षेत्र में थलकला, रड़ा ,कटारियों का खेड़ा और चेनपुरा के पास बनास नदी से गत दिनों में अंधाधुंध बजरी खनन कर नदी के बहाव को ही बदल दिया गया है। बनास नदी में जांच की जाए तो बड़े भूभाग पर पत्थर ही पत्थर और बेतरतीब गहरे गड्ढे नजर आने लगे हैं। नदी में और आसपास के गांवों में कई जगह सरकारी भूमि पर बजरी के स्टॉक लगे हुए हैं। नदी के आसपास गांवों के ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की शह पर काछोला थाना क्षेत्र की बनास नदी में बजरी का अवैध खनन ओर परिवहन धड़ल्ले किया जा रहा है। जिससे नदी का पर्यावरण तो बिगड़ ही रहा है, वहीं बजरी भरे ओवरलोड वाहनों के दौड़ने से ग्रामीण इलाके की सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है।

पिछले दिनों काछोला के पास रूपपुरा गांव के ग्राामीणों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर करीब एक दर्जन से अधिक बजरी भरे वाहन रोक लिए थे। इस दौरान भी काछोला पुलिस मौक़े पर देर से पहुंची। इस दौरान बजरी भरे वाहन मौक़े से भाग निकले थे। पुलिस ने खानापूर्ति के लिए महज दो वाहन मौक़े से जब्त किए थे। बजरी माफिया और पुलिस की गठजोड़ के चलते सरकार और उच्चाधिकारियों के आदेश की काछोला में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिससे सरकार को लाखों के राजस्व की चपत लगने के साथ ग्रामीणों में भी भारी रोष व्याप्त होता जा रहा हैं।

सड़क की दुर्दशा को लेकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन

अजमेर, (कासं)। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ, भैंसा काम्प्लेक्स व्यापारिक एसोसिएशन के व्यापारी प्रतिनिधियों ने महासंघ के किशन पारिक और रमेश लालवानी के नेतृत्व में मंगलवार को भैंसा काम्प्लेक्स बाजार के बाहर पृथ्वीराज मार्ग सड़क की दुर्दशा सुरधारने और वाहनो को पार्किंग की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

भैंसा काम्प्लेक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन पारीक ने बताया कि मित्तल माल के संचालको को उनके गार्ड के माध्यम से आने जाने वालो के वाहनों को मार्ग में नहीं खड़े करने देने और गलत दिशा से भी आवागमन को रोकने के लिए पाबन्द करवाने की मांग जिला प्रशासन और यातायात विभाग के अधिकारियो से की। विरोध प्रदर्शन कर मांग की गई कि खाईलैंड मार्केट के सामने एलिवेटेड रोड के नीचे की सडक़ की स्थित बहुत ही खराब है, सडक़ में बहुत खड्डे होने से आवागमन और वाहन चालको को परेशानी व मार्केट में धूल का वातावरण बना हुआ है। आगरा गेट से इस पृथ्वीराज मार्ग की ओर लगाये गए बेरीकेटस से यातायात की व्यवस्था बहुत बिगडी हुई है। अनेक वाहन चालक विपरीत दिशा में चलते रहते है। प्रदर्शन व मांग करने वालों में ओमप्रकाश टांक, रमेश लालवानी, किशन पारीक, प्रतीक कुमार, नरेश भाई, अमोल अग्रवाल, नितिन कुमार आदि मौजूद रहे।

- **जिला व निगम प्रशासन से की दुरुस्त कराने की मांग**
- **सडक़ में बहुत खड्डे होने से आवागमन और वाहन चालक हो रहे परेशान**

भूमि की मांग

मदनगंज-किशनगढ़,(निस) अटल जन सेवा शिविर की जनसुनवाई में भाजपा नेता महेंद्र पाटनी ने कलेक्टर से अजमेर से जयपुर तथा जयपुर से अजमेर आने जाने वाली सभी बसों का ठहराव के लिए किशनगढ़ हवाई अड्डा व रेलवे स्टेशन के निकट हाईवे पर भूमि आंवटन हेतु कार्यवाही करने की मांग की है। कलेक्टर ने करीब नो माह पहले एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन के निकट हाईवे मार्ग पर बसों के ठहराव स्थल निर्धारण की सुनिश्चितता करने के कमेटी का गठन किया।

मतगणना स्थल का निरीक्षण

नागौर, । विधानसभा उप चुनाव-2024 की मतगणना तैयारियों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) अरुण कुमार पुरोहित ने मंगलवार को मतगणना स्थल राजकीय विधि महाविद्यालय का निरीक्षण किया।

इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया सेंटर, मतगणना कक्ष, अल्पाहार एवं सुरक्षा व्यवस्था सहित आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। पुरोहित ने मतगणना संबंधी कार्य में पूर्ण गंभीरता से संपादित करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजकीय विधि महाविद्यालय स्थित मतगणना स्थल में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप बेरिकेडिंग एवं सीसीटीवी कैमरे,रोशनी आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) चंपालाल, उपखंड अधिकारी नागौर गोविंद सिंह भींचर मौजूद रहे।।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)]
कब्जा नोटिस
(अचल सम्पत्ति का)

चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आई डी एफ सी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित) के प्राधिकृत अधिकारी है अतः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 04.09.2024की तिथि को एक नोटिस कर्जदारों, सह-कर्जदारों एवं जमानतियों 1. मैं फास्ट ट्रैक टायर्स, 2. मुश्ताक अहमद शेख, ताहिर हुसैन को जारी किया गया था, जिसमें 02.09.2024 की तिथी को देय, नोटिस में उल्लेखित राशि रू. 58,81,800/- (रूपये अठ्ठावन लाख इक्यासी हजार और आठ सौ मात्र) का भुगतान उपर्युक्त निर्दिष्ट नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर करने के लिए कहा गया था।

चूंकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चुकाने में विफल रहे है अतः कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों को आज नवम्बर 2014 को 14 वे दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक के साथ सम्मेलित) की प्रभारित शर्तों के अधीन राशि रूपय 58,81,800/- (रूपये अठ्ठावन लाख इक्यासी हजार और आठ सौ मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा।

कर्जदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

प्लाट नं.ः डब्लू-119/2, श्रेत्रफल 197.29 वर्ग गज, खसरा नं. 3035/1, ग्राम भीलवाड़ा, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा, राजस्थान-311001 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है। पूर्वः प्लाट नं. डब्लू-119/3, पश्चिमः प्लाट नं. डब्लू-119/1, उत्तरः रोड 100 फिट चौडी, दक्षिणः खुला।

दिनांक- 14.11.2024
स्थान - राजस्थान
ऋण खाता सं.-10061403266

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व नाम केपिटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लि. के साथ सम्मेलित)

केन्द्रीय मंत्री चौधरी ने ली अधिकारियों की बैठक

मदनगंज-किशनगढ,(निस)। केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

उन्होंने कहा की मुलभुत सुविधा उपलब्ध कराने के साथ हर हाल में किशनगढ़ नशा मुक्त हो, इसके लिए विशेष रणनीति बनाकर बुराई को जड़ से समाप्त की जाये। केन्द्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने अपने निवास पर बिजली, पानी, सडक सहित सभी विभिन्न विभाग के अधिकारियों से कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने कहा अपराध पर अंकुश लगाने के लिए रात्रि गश्त के साथ चौकसी बरती जाये, ताकि लोग भय मुक्त रह सके। किशनगढ में बीते कुछ वर्षो से सैकड़ो युवा नशे की चपेट में है। बिना दबाव के स्वतंत्र होकर पुलिस नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। उन्होंने कृषि विधुत कनेक्शन शिघ्र करने हेतु निर्देश दिया की सर्दी के मौसम में किसानों को दिन में ही 3 फेज बिजली उपलब्ध कराकर बार बार ट्रीपिंग न हो इसका भी ध्यान रखा जाए। जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बीसलपुर में पर्याप्त पानी है, लोगो को 72 घंटे में पानी मिलना चाहिये, पेयजल व्यवस्था की शिकायतें प्राप्त करने एवं उनके निवारण को एक सुद्रढ सिस्टम हो, शिकायतों का रिकार्ड संधारण हो और उनका त्वरित निस्तारण हो। बैठक में नगर परिषद सभापति दिनेश सिंह राठौड, उपखण्ड अधिकारी निशा साहरण, भाजपा नेता किशनगोपाल दरगड, हनुमान भादू, समरथ सिंह, सूर्यप्रकाश शर्मा, मण्डल अध्यक्ष दिपेश गुप्ता, राजीव शर्मा, रामस्वरूप सुण्डा, रामसिंह राठौड, रामवतार वैष्णव, अनील शर्मा के अलावा अधिकारी उपस्थित रहे।

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मनाया

भीलवाड़ा। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस (झंडा दिवस) भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण हेतु सन् 1949 से प्रतिवर्ष 07 दिसम्बर को मनाया जाता है।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि युद्ध के समय हुए जान-माल की हानि के बाद देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि वो अपने सैन्य कर्मियों, उनके परिवार के कल्याण के कार्यों में सहयोग करें। हम सभी को हमारे शूरवीरों की कीर्ति गाथाओं पर गौरव है. जिन्होंने 1947-48, 1962, 1965. 1971 व 1999 के युद्धों व आंतरिक संघर्ष में बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मन व आतंकवादियों के घुटने टिका दिये। उन्होंने बताया कि देशवासियों द्वारा दिया गया दान देश सेवा में अशक्त हुए सैनिकों, शहीदों एवं उनके परिवारजनों के कल्याण हेतु काम आता है।

उन्होंने इन शूरवीरों एवं शहीदों के परिवार जनों के लिए सभी सर्वविदित परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर प्रदेश में संचालित विभिन्न प्राईवेट संस्थानों, युविनर्सिटीज, स्कूलों के संचालकों एवं कॉरपोरेट क्षेत्र के सभी दानताओं एवं प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे उदारतापूर्वक दान देकर सशस्त्र बलों के प्रति हम सब गहरी कृतज्ञता अभिव्यक्त करे। दान जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में उपस्थित होकर या जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के नाम से डी0डी0/ बैंक के माध्यम से एवं विभाग के क्यूआर स्कैनर के माध्यम से भी किया जा सकता है।

चेतन को मिले पेंशन एरियर 22500 रूपये

ब्यावर । राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रति माह प्रथम गुरुवार को आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई करने के लिए जब नवगठित जिला ब्यावर के जिला कलेक्टर महेंद्र सिंह खड़ावत जब जनसुनवाई के तय समय पर ग्राम पंचायत चतरपुरा मुख्यालय पर जनसुनाई के लिए पहुंचे ही थे कि उसी समय मौका देख कर जगदीश सिंह रावत निवासी प्रतापपुरा ग्राम पंचायत चतरपुरा गंभीर सी मायूसी की मुद्रा लिए कलेक्टर साहब के समक्ष उपस्थित हुआ और रूदन के साथ अपनी वेदना व्यक्त करते हुए बोला कि कलेक्टर साहब एक अनाथ और दिव्यांग चेतन सिंह को दो साल से उसकी दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रही है, ओर मैं लगभग दो साल से विभागों के चक्कर पर चक्कर लगा रहा हु पर ना तो किसी ने मेरी सुनवाई की ओर ना ही अनाथ और दिव्यांग चेतन सिंह की आज तक पेंशन चालू हुई है। जिस से इस अनाथ और दिव्यांग चेतन सिंह का जीना दूभर सा हो गया है।

साहब आज सुबह गांव में मुझे चौपाल पर चर्चा के दौरान पता चला कि आज चतरपुरा पंचायत में कलेक्टर साहब आयेंगे और सबकी समस्याएं सुनेंगे इसलिए एक आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आया हु साहब आप कुछ करो यदि कर सको तो। में एक दम हताश हो चुका हु । जिला कलेक्टर ने तुरंत बीडीओ पंचायत समिति बदनौर को निर्देश दिए कि इसकी पेंशन क्यों नहीं मिली चेक करो और मुझे अभी का अभी बताओ। साहब के निर्देश पर बीडीओ बदनौर ने ग्राम विकास अधिकारी को बताया।

मामले की गंभीरता को देख कर एसीईओ, जिला परिषद ब्यावर डॉ गोपाल लाल मीना ने मायूसी लिए ओर कुछ गुस्से में हुए चेतन के परिजन जगदीश को अपने पास बिठाया ओर उसके मामले को पूरा समझा तो पता चला कि चेतन सिंह का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने से जन्म दिनांक के कारण आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। तब ही पूछताछ से पता चला कि चेतन सिंह ने एक बार गांव की किसी सरकारी स्कूल में दाखिला लिया था। फिर स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र हेतु लिखवाकर मंगवाया उससे पता चला कि चेतन की उम्र 18 वर्ष के लगभग है और इसके जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी अनुज्ञा आदेश की जरूरत होगी इस पर जनसुनवाई में उपस्थित तहसीलदार बदनौर देवाराम भील ने अनुज्ञा आदेश जारी किया और ग्राम विकास अधिकारी ने तत्काल ही जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया। उसके बाद 22500 रुपए की पेंशन मय एरियर के साथ फारवर्ड हो गई।